उत्तर प्रदेश सरकार
शिक्षा अनुभाग-10
संख्या : 2638/15-10-94-15(66)-89
लखनऊ : 20 जुलाई, 1994

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (उत्तर प्रदेश अधिनियमसंख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973) की धारा 28 की उपधारा (5) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित आदेश देते हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए प्रवेश में आरक्षण) आदेश, 1994

1- (1) यह आदेश उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए प्रवेश में आरक्षण) आदेश, 1994 कहा जाएगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2- उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उपधारा (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, शिक्षण सत्र 1994-95 से, किसी विश्वविद्यालय, संस्थान,संघटक कालेज, संबद्ध कालेज या सहयुक्त कालेज में किसी पाठ्यक्रम में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के प्रवेश के लिए सीटों का निम्नलिखित प्रतिशत आरक्षित किया जायगा, अर्थात्:-

(क)	अनुसूचित जातियों	इक्कीस प्रतिशत
(ख)	अनुसूचित जनजातियों	दो प्रतिशत
(ग)	नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों	सत्ताइस प्रतिशत

परन्तु जहां किसी विश्वविद्यालय ने ऊपर निर्दिष्ट श्रेणियों से भिन्न किसी अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के पक्ष में प्रवेश में आरक्षण की व्यवस्था की है, वहां ऐसे आरक्षण के आधार पर प्रवेश के लिए चयनित अभ्यर्थी को उस श्रेणी में रखा जायगा जिससे वह सम्बन्धित है। उदाहरण के लिए यदि किसी पाठ्यक्रम में खिलाड़ियों के पक्ष में आरक्षण के आधार पर प्रवेश के लिए चयनित अभ्यर्थी अनुसूचित ज़ाति, अनुसूचित जन-जाति या अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो उसे आवश्यक समायोजन करके सम्बन्धित श्रेणी में, जिससे वह सम्बन्धित है, रखा जाएगा और इसी प्रकार यदि वह सामान्य श्रेणी का है तो उसे आवश्यक समायोजन करके उस श्रेणी में रखा जायगा :

परन्तु यह और कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या भारत सरकार के किसी आदेश के अधीन किसी अन्य राज्य के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित स्थानों, यदिकोई हो, को इस पैराग्राफ के अधीन प्रतिशत की गणना करने के प्रयोजन के स्थानों की कुल संख्या में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण-इस आदेश के प्रयोजनों के लिए पद सामान्य श्रेणी का तात्पर्य पैराग्राफ-2 में निर्दिष्ट श्रेणियों से भिन्न श्रेणी से है।

3- यदि पैराग्राफ-2 के अधीन अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों की सीट को भरने के लिए अनुसूचित जन-जाति के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो ऐसी सीट अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी।

4- पैराग्राफ-3 के अधीन रहते हुए, जहां पैराग्राफ 2 के अधीन आरक्षित सीटों में से कोई सीट पात्र अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण बिना भरी रह जाती है तो उसे सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा।

स्पष्टीकरण-पैराग्राफ 3 और 4 के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों या नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का कोई अभ्यर्थी अपात्र नहीं होगा, यदि वह किसी प्रवेश परीक्षा में या प्रवेश से सम्बन्धित किसी प्रतिमानक के अधीन न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने में विफल रहता है।

5- यदि पैराग्राफ 2 में उल्लिखित किसी श्रेणी से सम्बन्धित कोई अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के साथ प्रवेश के लिए चयनित होता है तो उसे पैराग्राफ 2 के अधीन ऐसी श्रेणी के लिएआरक्षित सीटों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा।

6- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित-जनजनतियों या नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के अध्यापकों को, जहां तक सम्भव हो, निष्पक्ष प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए प्रवेश समितियों में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

7- किसी विश्वविद्यालय के मामले में प्रवेश समिति का अध्यक्ष और कुलपति और किसी अन्य मामले में ऐसा अध्यक्ष और संस्था का प्रधान इस आदेश का सम्यक् अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा।

8- जो कोई जानबूझकर आदेश का उल्लंघन करने या उसके प्रयोजनों को विफल करने के आशय से कोई कार्य करता है तो दोषसिद्ध होने पर कारावास से, जो तीन मास का हो सकता है या जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक हो सकता है, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

आज्ञा से,
एम0 रामचन्द्रन,
सचिव।